संख्या-20/2016/1363जेड/6-सा-1-2016-27जी/15टीसी-ए

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोकतन्त्र सेनानियों की बकाया सम्मान राशि का भुगतान करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1917/छः-स्व0से0/2016, दिनांक-26-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक -2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ मद में उपलब्ध बचत में से अतिरिक्त रूप से निम्न मद में **रू0 39,00,00,000/- (रू0 उनतालीस करोड़ मात्र)** की धनराशि दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार रूपयों में)**
लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय, 03-आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि भुगतान, 42-अन्य व्यय।	39,00,00
योग	**रू0 39,00,00**

(रू0 उनतालीस करोड़ मात्र)

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों में पुनः अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

क्रमशः 2/-

http://cbasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जाय, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय, 03-आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि भुगतान, 42-अन्य व्यय की मद के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33/पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ मद की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या:20/2016/1363(1)/जेड/6-सा-1-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट/प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी।
7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://sirsanadesh.up.nic.in